



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23895

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 450 वर्ष 2026

राजीव कुमार राय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप संचालक चकबंदी और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार, संजय कुमार राजभर

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"परमादेश की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या-2 (बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, मऊ) को उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम की धारा 21(2) के तहत अपील संख्या-660/14-15 (राम नयन बनाम राजीव व अन्य) में दायर पुनर्स्थापना आवेदन दिनांक 16.08.2024 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर तय करने का निर्देश दे।"
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, यदि उक्त मामले को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश जारी किया जाता है।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, प्रत्यर्थी संख्या-2 को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश द्वारा कानून के अनुसार कड़ाई से उक्त मामले का निस्तारण करें।
5. पूर्वोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"